<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 30 / 12

संस्थापन दिनांक : 27.01.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—अनिल पुत्र भूपसिंह जाति कढ़ेरे उम्र 25 वर्ष 2—भूपसिंह पुत्र भोगीराम जाति कढ़ेरे उम्र 55 वर्ष 3—आनन्दीबाई पत्नी भूपसिंह उम्र 50 वर्ष निवासीगण रामनगर स्टेशन रोड गोहद चौराहा जिला भिण्ड

– अभियुक्तगुण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित

- 1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स. की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 498ए भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.11.10 को 18:00 बजे या उससे पूर्व एवं पश्चात में रामनगर स्टेशन रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा पर फरियादिया गुड्डी उर्फ विनीता अ0सा02 के पित व पित के रिश्तेदार होते हुए उससे दहेज के रूप में पचास हजार रूपये को न देने पर उसे प्रताड़ित कर कूरता कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया विनीता अ०सा०२ की शादी दिनांक 16.04.08 को आरोपी अनिल पुत्र भूपसिंह जाति कढ़ेरे निवासी ग्राम जरतपुरा हाल गोहद चौराहा जिला भिण्ड के साथ हिन्दू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी एवं सार्मथ्य अनुसार दान दहेज भी दिया गया था। प्रारंभ में फरियादिया कुछ दिन ठीक से रही लेकिन शादी के एक साल बाद आरोपीगण द्वारा प्रताड़ित करना प्रारंभ किया गया एवं कहा जाने लगा कि दहेज में सामान नहीं दिया है एवं पैसा भी कम दिया है इसलिए पचास हजार रूपये अपने बाप से लेकर

आना और पचास हजार रूपये की मांग की जाने लगी। नहीं लाने पर आरोपीगण उसे धौंस देते थे कि तुझे नहीं रखेंगें और प्रताड़ित करते रहेंगे तथा जान से मारने की धमिकयां देते थे। तथा फरियादिया बिनीता अ0सा02 के सभी कपड़े एवं गहने छीन लिए और दिनांक 04.11.10 को विनीता अ0सा02 को उसका पित आरोपी अनिल भिण्ड बस स्टैण्ड पर छोड़कर चला गया था और एक महीने के लिए मिहला परामर्श केन्द्र के माध्यम से ले गया और 28.12.11 को फिर मिहला परामर्श केन्द्र पर छोड़कर चला गया जब से वह अपने पिता के घर पर रह रही है और फोन पर उसे धमिकयां आ रही है कि अगर रूपये नहीं दिए जो उसे नहीं रखेंगें और उसे छोड़ देंगें। तत्पश्चात विनीता अ0सा02 ने आरोपीगण के विरुद्ध थाना गोहद चौराहे में आवेदन प्र0पी—1 दिया जिस पर से थाना गोहद चौराहा पर आरोपीगण के विरुद्ध अप0क0 05/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—2 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है । आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 04.11.10 को 18:00 बजे या उससे पूर्व एवं पश्चात में रामनगर स्टेशन रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा पर फरियादिया गुड्डी उर्फ विनीता अ0सा02 के पति व पति के रिश्तेदार होते हुए उससे दहेज के रूप में पचास हजार रूपये को न देने पर उसे प्रताड़ित कर कूरता कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

विनीता अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.04.08 को उसकी शादी अनिल के साथ भिण्ड में हुई थी। शादी के बाद घर की बात पर अनिल से झगड़ा हो गया था। फिर उसने अपने पिता, चाचा, और सुरेश को घर पर बुला लिया। जहां बातचीत हुई थी जो नहीं बनी। तब वह बस से अपने घर आ गयी थी। जब अनिल उसे लेने नहीं आया तब परिवार परामर्श केन्द्र और एस.पी. को उसने आवेदन दिया था और थाने पर रिपोर्ट की थी आवेदन प्र0पी—1 और एफ.आई.आर. प्र0पी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण उससे दहेज नहीं मांगते थे केवल घर गृहस्थी का झगड़ा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज में पचास हजार रूपये मांगते थे और कम दहेज लाने का ताना देकर परेशान करते थे और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 द. प्र.स. प्र0पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। आवेदन प्र0पी—1 उसने बोलकर नहीं लिखाया था।

5. वासुदेव अ0सा01 ने कथन किया है कि विनीता अ0सा02 उसकी पुत्री है। जिसका विवाह दिनांक 16.04.08 को अनिल के साथ हुआ था और शादी के बाद आरोपीगण विनीता से पचास हजार रूपये दहेज के मांगते थे जो उसकी बेटी ने बताया था। वह आरोपीगण के घर गया था जहां आरोपीगण ने कहा कि उन्हें लड़की पसंद नहीं है और पचास हजार रूपये मांगे। दिनांक 04.11.10 को आरोपीगण विनीता को बस स्टैण्ड छोड़ गये थे तब उसने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया था। उसने परिवार परामर्श केन्द्र में आवेदन दिया था और दिनांक 16.11.11 को विनीता को परिवार परामर्श केन्द्र ले गया था। दिनांक 28.12.11 को आरोपीगण महिला परामर्श केन्द्र से ले जाकर विनीता को पुनः उसके घर छोड़ आये थे और फिर लेने नहीं आये तब दिनांक 04.01.12 को उसने थाने पर रिपोर्ट की थी। विनीता ने ही उसे बताया था कि आरोपीगण उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और दहेज मांगते थे।

अतः विनीता अ0सा02 जिसके विरुद्ध अभियोजित घटना घटित हुई है ने विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और इंकार किया है कि आरोपीगण ने दहेज की मांग कर क्रुरता की है। वासुदेव अ०सा०१ ने जो विनीता 30सा02 का पिता है ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दहेज मांगने की बात विनीता अ0सा02 ने उसे बतायी थी। विनीता अ0सा02 ने भी प्रतिपरीक्षण में यही स्वीकार किया है कि उसके पिता के सामने आरोपीगण ने दहेज नहीं मांगा और उसी ने अपने पिता को शादी के एक साल बाद लड़ाई के बारे में बताया था। अतः वासुदेव अ०सा०१ घटना का अनुश्रुत साक्षी है और उसने विनीता अ०सा०२ 💇 सं घटना के बारे मे सुना है लेकिन विनीता अ0सा02 ने दहेज मांगकर कूरता कारित करने के तथ्य से इंकार किया है। अतः वास्देव अ०सा०1 का कथन भी सुसंगत और निर्भर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। वासुदेव अ0सा01 ने आरोपीगण के घर जाने पर पचास हजार रूपये मांगने का कथन मुख्यपरीक्षण मे किया है लेकिन उक्त तथ्य का भी कथन प्र0डी-1 में लोप है जिस पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर पैरा 6 में उक्त लोप से वास्देव ने इंकार किया है। अतः घर पर दहेज मांगने के संबंध में वास्देव अ०सा०। के न्यायालयीन कथन और पुलिस कथन प्र0डी–1 में लोप व विरोधाभास है जिससे इस संबंध में भी वासुदेव द्वारा दिए कथन विश्वसनीय स्पष्ट नहीं होते हैं।

अतः विनीता अ०सा०२ ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और वासुदेव अ०सा०१ की साक्ष्य विश्वसनीय प्रमाणित नहीं हुई है। अतः उक्त दोनों महत्वपूर्ण साक्षी के कथन के आलोक में अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 04.11.10 को 18:00 बजे या उससे पूर्व एवं पश्चात में रामनगर स्टेशन रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा पर फरियादिया गुड्डी उर्फ विनीता अ०सा०२ के पति व पति के रिश्तेदार होते हुए उससे दहेज के रूप में पचास हजार रूपये को न देने पर उसे प्रताड़ित कर कूरता कारित की।

- परिणामतः आरोपीगण को धारा 498ए भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त ६ गोषित किया जाता है।
- 10. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0